कार्यालय जनपद न्यायाधीश, एटा।

प्रशासनिक आदेश सं.173/2021, दिनांक 30 अप्रैल, 2021

आदेश

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि प्रतिवर्ष माह मई एवं माह जून में इस जनपद में न्यायालय समय प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक रहता है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वर्तमान समय में कोविड–19 संक्रमण के प्रसार के कारण न्यायालय सीमित संख्या में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सीमित कार्य हेतु प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 02.30 बजे तक की अवधि हेतु चलाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष, कलक्ट्रेट बार एसोसियेशन, एटा एवं अन्य पदाधिकारियों से हुई वार्ता में यह कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में जब तक न्यायालय अवधि 10.30 बजे से 02.30 बजे तक की है, तब तक उसी अवधि में न्यायिक कार्य चलता रहे। भविष्य में जब न्यायालय पूर्ण अवधि हेतु माह मई अथवा माह जून में में कार्य करेंगे, तब आवश्यक हुआ तो पुनः न्यायालय का समय परिवर्तित करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय ले लिया जायेगा।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

30/4/2021

(मृदुलेश कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, एटा।
30.04.2021

इस आदेश की एक–एक प्रति निम्न को प्रेषित कर दी जावे :

1. जिलाधिकारी, एटा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा।
3. अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसियेशन, एटा।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा।
5. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, एटा।
6. अधीक्षक, जिला कारागार, एटा।
7. जिला सूचना अधिकारी एटा को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु।